न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 13/24 दायरा दिनांक 09.02.2024

1. पुन्या पुत्र कडोरी उम्र 50 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम घेंसुवा तहसील शाहाबाद हाल निवासी अमरोली तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान
2. नत्थू पुत्र कडोरी उम्र 62 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम घेंसुवा तहसील शाहाबाद हाल निवासी अमरोली तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान
3. भागो पुत्री कडोरी जाति सहरिया निवासी ग्राम घेंसुवा तहसील शाहाबाद हाल निवासी अमरोली तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान –फोत
4. पारबती पुत्री कडोरी पत्नि बावूलाल उम्र 65 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम घेंसुवा हाल निवासी छिछरोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत खाण्डा सहरोल तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 31.12.1978 ग्राम घेंसुवा वनिर्णय सरपंच ग्राम पंचायत खाण्डासहरोल तहसील शाहाबाद बारां

<u>निर्णय–दिनांक 27.05.2024</u>

उपस्थित– अपीलाण्टस की ओर से–श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम घेंसुवा पटवार क्षेत्र बीची तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा संख्या 80 रकबा 1.03 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 1.02 बीघा, खसरा संख्या 84 रकबा 2.02 बीघा, खसरा संख्या 88 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 121 रकबा 0.14 बीघा, खसरा संख्या 122 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 129 रकबा 1.00 बीघा, खसरा संख्या 130 रकबा 2.15 बीघा, खसरा संख्या 162 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 216 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 219 रकबा 1.02 बीघा तथा खसरा संख्या 337 रकबा 2.15 बीघा किता 12 कुल रकबा 15.15 बीघा स्थित है, जो अपीलाण्टस के पिता कडोरी पुत्र हरपाल कोम सहर साकिन घेंसुवा के खाते की रही है, खातेदार कडोरी की मृत्यु के बाद दर्ज प्रश्नगत फोती नामान्तकरण में पुत्र सानो नाम गलत दर्ज किया गया है, इस कारण प्रश्नगत नामान्तकरण त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। मृत खातेदार कडोरी का सानो नाम का कोई पुत्र नहीं रहा है, मृत कडोरी के अपीलाण्टस पुन्या नत्थू पुत्र, भागो पार्बती पुत्रियां तथा पत्नि मिसरो मौजूद रहे हैं, जिनके नाम ही प्रश्नगत नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था। प्रश्नगत नामान्तकरण में अपीलाण्ट कम 2 नत्थू, कम 3 भागो, कम 4 पार्बती तथा पत्नि मिसरो का नाम सही दर्ज किया गया है और अपीलाण्ट कम 1 पुन्या का नाम दर्ज नहीं कर तथाकथित पुत्र सानू दर्ज कर दिया है, जिसे बाद में वर्तमान जमाबंदी में सानो दर्ज कर दिया है, जो गलत होने से प्रश्नगत फोती नामान्तकरण उक्त नाम की हद तक खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 71 दिनांक 31.12.1978 ग्राम घेंसुवा तहसील शाहाबाद आदेश

27.05.2024

उपखण्ड अधिकारी

अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत खाण्डासहरोल को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो. कम 2 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त आराजी किता 12 कुल रकबा 15.15 बीघा ग्राम घेंसुवा पटवार क्षेत्र बीची तहसील शाहावाद को अपीलाण्टस कम 1, 2 व 4 के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोन्डेन्टस के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि प्रश्नगत नामान्तरण में सानू नाम गलत दर्ज किया गया है, जबकि सानू खातेदार कडोरी का पुत्र नहीं है और अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है, जबकि अपीलाण्ट खातेदार कडोरी का पुत्र है, इस बावत पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध है। वास्तव में खातेदार कडोरी के वैध वारिसान कौन है, यह जांच का विषय है।

अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नंबर 71 ग्राम घेंसुवा दिनांक 31.12.1978 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृत खातेदार कडोरी पुत्र हरपाल जाति सहरिया साकिन घेंसुवा तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करें। नामान्तरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

27.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहाबाद जिला बारां